

9/5

पत्रावली वारिख पेत्री से गिरकर आज प्राप्त हुई।
मूलवाद को माननीय न्यायालय मजल अजमेर
से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर कर्दिया लख्या
2-दारा मूल वाद को खारिज करने का कर
आवेदन पैत्रा करने पर मूल वाद को खारिज
करने पर मूल वाद को खारिज कर दिया गया
है। मूल वाद के खारिज होने पर स्वयं प्रार्थना
पत्र का कोई मौखिक नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र
से खारिज किया जाता है। पत्रावली के लक्षण
अज्ञात होकर नम्बर से कम है, काफिल हफ्तर
है। निर्णय आज में दस्ताख्त से पुनाया गया।

अधीकारी, सीकर